राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 46/2018

भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन लाल, निवासी सलीमपुर, थाना नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान वर्तमान में सेवर जेल, भरतपुर में निरूद्ध हैं।

----**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

----**प्रत्यर्थी**

<u>से संबद्ध</u>

खंडपीठ आपराधिक अपील (एस.बी.) संख्या 259/2018

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह, निवासी- ग्राम भुटका, थाना नगर जिला भरतपुर।

2. घनश्याम पुत्र खेराती, निवासी- ग्राम भुटका, थाना नगर जिला भरतपुर।

----**अपीलार्थीगण**

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

----**प्रत्यर्थी**

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री अनिल कुमार उपमन (आपराधिक अपील संख्या 46/2018) श्री सी.पी. भंडारी (आपराधिक अपील संख्या 259/2018)
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री जावेद चौधरी, एजीए

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>निर्णय</u>

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 14/02/2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 21 फ़रवरी 2022

(अनूप कुमार ढंड, न्यायमूर्ति)

रिपोर्टेबल:

ये दोनों आपराधिक अपीलें एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनका निर्णय एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

दोनों आपराधिक अपीलें आरोपी अपीलार्थीगण द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 374(2) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर (संक्षेप में 'विद्वान ट्रायल कोर्ट') की न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सेशन केस संख्या 42/2016 (राजस्थान राज्य बनाम बिजेंद्र और अन्य) में दिनांक 11.01.2018 के विरूद्ध दायर की गई हैं, जिसके तहत निचली अदालत ने अपीलार्थीगण बिजेंद्र सिंह और घनश्याम को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए बरी करते हुए, परिवीक्षा की धारा 4 के तहत परिवीक्षा का लाभ बढ़ाया। अपराधी अधिनियम 1958 (संक्षेप में '1958 का अधिनियम') की धारा 341, 323 और 325 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए और उन्हें रुपये का मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 के तहत प्रत्येक को 25,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा और यह भी निर्देश दिया जाएगा कि मुआवजे की उक्त राशि में से 40,000/- रुपये मृतक की पत्नी श्रीमती नीरज को भुगतान किया जाए। विद्वान निचली अदालत ने दिनांक 11.01.2018 के आक्षेपित निर्णय के तहत आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र को दोषी ठहराया और सजा सुनाईः -

धारा के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्धि	सुनाई गई सज़ा	जुर्माना राशि	जुर्माना अदा करने में चूक पर
341 आई.पी.सी.	एक माह का साधारण कारावास	-	-
323 आई.पी.सी.	एक वर्ष का सश्रम कारावास	-	-
325 आई.पी.सी.	तीन वर्ष का कठोर कारावास	1000/-	एक माह का सश्रम कारावास
302 आई.पी.सी.	आजीवन कारावास	50,000/-	छह माह का कठोर कारावास

सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

संक्षेप में, सूचनार्थी रामेश्वर (पीडब्लू1) द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी1) से उत्पन्न तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 7.7.2014 को रामधन जाटव के पुत्रों सतीश और लोकेश की बारात भरतपुर चंदन गार्डन मैरिज होम, के पास सोगरिया मौहल्ला, भरतपुर आई थी। उक्त बारात में उनका पुत्र विक्रम सिंह भी आया था। रात्रि में दिनांक 8.7.2014 को लगभग 1.30 बजे भूर सिंह जाटव का फोन आया, जिसने बताया कि उसका पुत्र बारात में हुए झगड़े में मर गया है। सूचना मिलते ही वह दोपहर करीब तीन बजे पहुंचे। भरतपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां आसपास के निवासी भूर सिंह, संग्राम सिंह, शेर सिंह, सुनील और अन्य बाराती उनसे मिले और उन्होंने बताया कि बरात की रवानगी के समय बच्चू सिंह, गोविंदा, घनश्याम, बिजेंद्र, रामधन, केदार, कैलाश, प्रकाश ने उसके बेटे विक्रम सिंह को सरिया (लोहे की रॉड) से पीटा और लात-घूंसों से भी पीटा। बच्चू सिंह सरिया (लोहे की रॉड) से लैस था और बाकी लोगों ने विक्रम सिंह को लात-घूंसों से पीटा। जब संग्राम सिंह, शेर सिंह, सुनील और भूर सिंह को बीच-बचाव करने की कोशिश की गई तो इन लोगों ने उन्हें भी लात-घूंसों से पीटा, जिससे इन लोगों को भी चोटें आईं। घायल हालत में विक्रम सिंह को अरोड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। विक्रम सिंह का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उनके बेटे विक्रम सिंह की बच्चू सिंह, गोविंदा, घनश्याम, विजेंद्र, रामधन, केदार, कैलाश और प्रकाश ने सरिया (लोहे की रॉड) और लात-घूंसों से हत्या कर दी। इस लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 574/2014 (प्रदर्श पी.23) पुलिस थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर पर आरोपी व्यक्ति और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा 143, 323, 341 एवं 302 आई.पी.सी. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के निष्कर्ष के बाद पुलिस ने भूपेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह और घनश्याम के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 302 आई.पी.सी. के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। चूँकि सह-आरोपी बच्चू सिंह फरार था, इसलिये उसके विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के तहत जाँच को लंबित रखा गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आई.पी.सी. की धारा 323, 341, 325 और 302/34 के तहत अपराध के लिए उपरोक्त नामित आरोपियों के विरूद्ध आरोप तय किए, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया, दोषी नहीं होने का दावा किया और मुकदमे का दावा किया।

मुकदमे के दौरान, अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों से पूछताछ की और 50 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। बचाव में, अभियुक्त-अपीलार्थीगण की ओर से, किसी गवाह की जांच नहीं की गई लेकिन 7 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए गए। अभियुक्त-अपीलार्थीगण से सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई और उन्होंने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को तोड़ दिया। आरोपी अपीलार्थीगण ने सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में विशेष रूप से कहा गया कि उन्हें इस मामले

में झूठा फंसाया गया है क्योंकि वे निर्दोष हैं।

विद्वान निचली अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय सुनाया। निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट आरोपी अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष त्वरित आपराधिक अपीलें दायर की हैं।

आरोपी अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से कहा कि आरोपी अपीलार्थी निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें तत्काल मामले में झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलार्थीगण के विरूद्ध उचित संदेह से परे अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा है।

आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था और पुलिस के बयान दर्ज होने पर अन्य गवाहों ने उसका नाम प्रस्तुत किया था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि चश्मदीदों के बयान के अनुसार जब मुखबिर ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी तब वे मौजूद थे, अतः यह अति निहितार्थ का मामला है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कथित घटना की तारीख 7.7.2014 और 8.7.2014 की मध्यरात्रि 20 अगस्त, 2014 को उसे गिरफ्तार किया गया था और घटना के 41 दिनों के बाद, उसकी निशानदेही पर 21 अगस्त 2014 को भूपेन्द्र सिंह की 'लाठी' की बरामदगी की गई थी। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जुलाई और अगस्त के माह बारिश के मौसम हैं और 'लाठी' की बरामदगी एक खुली जगह से की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि बरसात के मौसम में भी 'लाठी' पर खून रह सकता है। अतः आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह को गलत फंसाये जाने की संभावना से इंकार किया जा सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि मृतक के सिर पर केवल एक ही घातक चोट लगी है, जो मौत का कारण है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक के सिर पर एक ही वार का आरोप दो आरोपियों पर लगाया गया है; बच्चू सिंह और भूपेन्द्र सिंह। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने सह-अभियुक्त बच्चू सिंह को बचाने की कोशिश की और उन्होंने आरोपी अपीलार्थी-भूपेंद्र सिंह को झूठा फंसाया। अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक चोट दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई थी। अतः, आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह की ओर से घटना को अंजाम देने का न तो कोई इरादा था और न ही कोई प्रयोजन। अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह का मामला आई.पी.सी. की धारा 304 भाग-2 से आगे नहीं बढ़ता है। आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह की सजा चश्मदीद गवाहों के बयानों पर आधारित है, जिनकी मौके पर उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है। अंत में, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय अपीलार्थी द्वारा

इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में विरोधाभास है। अधिवक्ता ने कहा कि कुछ गवाहों ने कहा है कि आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह ने 'सरिया' का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम दिया, जबकि उसकी निशानदेही पर 'लाठी' बरामद की गई। अतः अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा घटना की यथार्थता के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया गया है।

इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने आरोपी अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-2 शेर सिंह, पीडब्लू-5 घनश्याम और पीडब्लू-7 संग्राम सिंह घटना के घायल चश्मदीद गवाह हैं और पीडब्लू-8 सुनील चश्मदीद गवाह हैं। घटना के गवाह, जिन्होंने उचित संदेह से परे अपीलार्थीगण की संलिप्तता सिद्ध की है। प्रस्तुतियाँ दी गई हैं कि इन गवाहों के बयानों को अपराध के हथियार की बरामदगी से पूरी तरह से पुष्टि की गई है जो सिद्ध हो चुका है और अतः, इन गवाहों की गवाही की ताकत के आधार पर, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सक्षम है आरोपी-अपीलार्थीगण के विरूद्ध उचित संदेह से परे अपराध का आरोप लगाया गया है और अतः, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह को आई.पी.सी. की धारा 341, 323, 325 और 302 के तहत अपराध के लिए दोषी उचित ठहराया और अपीलार्थी बिजेंद्र सिंह और घनश्याम को आक्षेपित निर्णय द्वारा धारा 341, 323 और 325 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमने बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ-साथ यहां दिए गए 11.1.2018 के आक्षेपित निर्णय को भी देखा है।

पीडब्लू-1 रामेश्वर मृतक विक्रम सिंह के पिता हैं, जिन्होंने प्राप्त जानकारी के आधार पर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की। इस गवाह की गवाही के अनुसार, उसका बेटा 07.07.2014 को भरतपुर में एक बारात में गया था, जहां बारात में हुए झगड़े के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घनश्याम, संग्राम सिंह, सुनील, शेर सिंह व अन्य ने उन्हें बताया कि गोविंदा, बिजेंद्र, घनश्याम, भूपेन्द्र, रामधन, कैलाश व प्रकाश ने विक्रम को सरिया से पीटा तथा मुक्कों से मारपीट की। जब घनश्याम, शेर सिंह और संग्राम ने बीच-बचाव करना चाहा तो उन्हें भी पीटा गया, जिससे उन्हें चोटें आईं।

इस गवाह के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसने अन्य चश्मदीदों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीडब्लू-2-शेर सिंह, पीडब्लू-5-घनश्याम और पीडब्लू-7-संग्राम सिंह घटना के घायल चश्मदीद हैं जिनकी मौजूदगी में घटना घटी थी। जब उन्होंने मृतक को बचाने के लिए बीच-बचाव

करने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया और उन्हें भी चोटें पहुंचाई गईं। पीडब्लू-2 शेर सिंह ने कहा है कि दिनांक 07.07.2014 को सतीश और लोकेश की बारात भरतपुर में चंदन गार्डन मैरिज होम में आई थी, जहां विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। भूपेन्द्र ने विक्रम के शरीर पर लाठी मारकर चोट पहुंचाई। सह-आरोपी घनश्याम, गजेंद्र और गोविंदा ने अन्य घायल व्यक्तियों को चोटें पहुंचाईं। उन्होंने उसे पीटा भी और उसकी तर्जनी उंगली और दाहिने कंधे पर भी चोटें पहुंचाईं, जो चोट रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) से स्पष्ट है। पीडब्लू-5 घनश्याम भी एक घायल चश्मदीद गवाह है जिसे इस घटना में चोटें और फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने कहा है कि बिजेंद्र और भूपेन्द्र 'लाठियों' से लैस थे और उन्होंने बारातियों को पीटना शुरू कर दिया और उन्हें चोटें पहुंचाईं। उसे लगी चोटें गंभीर प्रकृति की हैं और चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है और एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 है। दोनों रिपोर्टों से साफ पता चलता है कि उनकी कोहनी की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इसी प्रकार, घटना के एक घायल चश्मदीद पीडब्लू-7- संग्राम सिंह को भी इस घटना में चोटें आईं और अल्सर की हड्डी टूट गई। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भूपेन्द्र, बिजेन्द्र, गोविंदा और घनश्याम शेर सिंह और घनश्याम को पीट रहे थे। भूपेन्द्र ने विक्रम के सिर पर सरिया से चोट पहुंचाई। बिजेंद्र 'लाठी' से लैस थे। इन सभी आरोपियों ने घनश्याम व संग्राम सिंह की पिटाई कर दी, जिससे उन्हें चोटें आयीं। प्रदर्श पी13 उनकी चोट रिपोर्ट है जो इंगित करती है कि उन्हें चोटें लगी थीं। प्रदर्श पी16 उनकी एक्स-रे रिपोर्ट है जो यह भी इंगित करती है कि उनकी अल्सर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इन घायल चश्मदीदों के अलावा, पीडब्लू-6 मुरारी लाल, पीडब्लू-8 सुनील और पीडब्लू-9 भूर सिंह घटना के अन्य चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने सिद्ध किया है कि अपीलार्थीगण ने घटना को अंजाम दिया है और चोटें पहुंचाई हैं।

पीडब्लू-3 हरीश और पीडब्लू-4 हरिशंकर ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और वे मुकर गए।

पीडब्लू-10 डॉ. सुनील पाठक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी14) को सिद्ध कर दिया है जो इंगित करता है कि विक्रम की मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई। उन्होंने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि चोट संख्या 3 के नीचे कोई फ्रैक्चर नहीं था और यह सामान्य प्रकृति का था। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि चोट संख्या 4 मृतक की सामान्य प्रकृति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, हालांकि, यह चोट मृतक के सिर पर थी।

पीडब्लू-11 डॉ. आर.डी. शर्मा ने घायल शेर सिंह की जांच की और उसकी चोट रिपोर्ट तैयार की लेकिन उसे कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। उन्होंने घायल संग्राम सिंह और घनश्याम की भी जांच की और इन दोनों व्यक्तियों के शरीर पर अल्सर की हड्डी के फ्रैक्चर पाए गए। उन्होंने उनकी एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की जो क्रमशः प्रदर्श पी 16 और प्रदर्श पी 17 हैं। इसी प्रकार, पीडब्लू-17 डॉ. फूल सिंह

ने इन घायल व्यक्तियों की जांच की है और उनकी चोट रिपोर्ट प्रदर्श पी 8, प्रदर्श पी 10 और प्रदर्श पी 13 के रूप में तैयार की है। चोट रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इन लोगों को चोटें आई हैं।

जांच के दौरान, अपीलार्थी भूपेन्द्र की निशानदेही पर एक 'लाठी' बरामद की गई। वीडियो प्रदर्श पी31, पीडब्लू-16- जांच अधिकारी महावीर सिंह ने 'लाठी' को जब्त करने के बाद उसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में जांच के लिए भेजा और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी47) के अनुसार, वहां 'लाठी' पर मानव खून था।

पीडब्लू-15 पूजा अवाना ने पीडब्लू-4 हरिशंकर और पीडब्लू-3 हरीश के बयान दर्ज किए, जिन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और मुकर गए। उन्होंने पीडब्लू-6 मुरारी लाल का बयान भी दर्ज किया है लेकिन अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि इन तीन गवाहों के बयान में भूपेन्द्र का नाम घटना में शामिल नहीं पाया गया। पीडब्लू-16 महावीर जांच अधिकारी हैं जिन्होंने उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थीगण के विरूद्ध जांच की और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि यह घटना बस में बारात की वापसी के संबंध में एक बहुत ही मामूली मुद्दे पर उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच तीखी बहस हुई और अचानक अपीलार्थी भूपेन्द्र ने एक हमला कर दिया। मृतक विक्रम के सिर पर 'लाठी' से चोट लगी और अपीलार्थी बिजेंद्र सिंह और घनश्याम ने संग्राम सिंह और घनश्याम के शरीर पर चोट और फ्रैक्चर किया।

अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, हम पाते हैं कि घटना के लिए कोई पूर्व-योजना नहीं थी और अपीलार्थी भूपेन्द्र द्वारा विक्रम को घातक चोट 'लाठी' से पहुंचाई गई थी, जो आमतौर पर गांवों में की जाती है। जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपराध करने के इरादे से अपने साथ 'लाठी' ले जा रहा था। अपीलार्थी भूपेन्द्र द्वारा पहुंचाई गई एक चोट घातक सिद्ध हुई, जैसाकि पीडब्लू-10 डॉ. सुनील पाठक ने बताया है, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की (प्रदर्श पी14)।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डॉ. सुनील पाठक (पीडब्ल्यू 10) ने अपनी जिरह में कहा कि मेडिकल बोर्ड ने चोट संख्या 4 अर्थात सिर पर लगी चोट का उल्लेख नहीं किया है जो 'प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।' उन्होंने अपनी जिरह में आगे कहा है कि चोट संख्या 3 के लिए, कोई अतिरिक्त दबाव नहीं था और इसे सरल प्रकृति का माना गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी विक्रम ने कोई भी झटका दोहराया नहीं था और जाहिर तौर पर उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा, इस गवाह की जानकारी के अनुसार, चोट संख्या 4 विक्रम सिंह की मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के

सामान्य क्रम में पर्याप्त नहीं थी। अतः, हमारी राय में, अपराध आई.पी.सी. की धारा 304 भाग-॥ से आगे नहीं बढ़ सकता है।

जुगुत राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2020 सीआर.एल.आर. (एससी) 1100 में प्रकाशित, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

> *"7. लाठी इस देश में एक ग्रामीण द्वारा रखी जाने वाली एक सामान्य वस्तु है, जो उसकी पहचान से जुड़ी होती है। तथ्य यह है कि यह हमले के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करने में सक्षम है, यह इसे हमले का हथियार नहीं बनाता है। वर्तमान जैसे मामले में, सिर पर लाठी से हमला करने के मामले में, प्रत्येक मामले में यह हमेशा एक प्रश्न तथ्य है कि क्या मौत का इरादा था या केवल ज्ञान था कि मौत होने की संभावना थी, जैसा भी मामला हो, इरादे या ज्ञान को समझने के लिए परिस्थितियों, हमले के तरीके, प्रकृति और चोटों की संख्या सभी पर संचयी रूप से विचार करना होगा।*

जुगुत राम (सुप्रा.) के मामले से निपटते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जोसेफ बनाम केरल राज्य (1995) एससीसी (सीआरएल) 165** में प्रकाशित, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किया, जिसमें निम्नानुसार देखा गया:-

> "3. .... इस्तेमाल किया गया हथियार कोई घातक हथियार नहीं है जैसाकि विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया है। पूरी घटना एक मामूली घटना का परिणाम थी और उन परिस्थितियों में आरोपी ने सिर पर लाठी से दो वार किए, अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि उसका इरादा चोट पहुंचाने का था जो पर्याप्त है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि ऐसी चोटें पहुंचाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया अपराध गैर इरादतन हत्या होगा। तदनुसार, हमने आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा को अपास्त कर दिया है। इसके बजाय हम अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराते हैं और उसे पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा देते हैं।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***ए.आई.आर. 1954 एससी 652 में रिपोर्ट*** किए गए ***चमरू बुधवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** के मामले में कहा है कि 'अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया और जो घातक सिद्ध हुआ। चिकित्सकीय दृष्टि से यह चोट सामान्य रूप से मृत्यु का कारण

बनने के लिए पर्याप्त थी। *आई.पी.सी. की धारा 302* के तहत दोषसिद्धि हुई। उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "5. अब यह विचार करना बाकी है कि उसने जो अपराध किया है वह भारतीय दंड संहिता की *धारा 304* के पहले भाग के अंतर्गत आता है या दूसरे भाग के अंतर्गत। जब अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से किए गए केवल एक प्रहार से घातक चोट पहुंचाई गई थी, तो यह भी हो सकता है कि जिस कार्य से मृत्यु हुई थी वह मृत्यु कारित करने के इरादे से नहीं किया गया था या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन भारतीय दंड की *धारा 304* के भाग II के अर्थ के अंतर्गत मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना किया गया है जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है।
>
> 6. हम तदनुसार, इस हद तक अपील की अनुमति देते हैं कि भारतीय दंड संहिता की *धारा 302* के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को अपास्त कर दिया जाएगा, लेकिन अपीलार्थी को धारा के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जाएगा। *भारतीय दण्ड संहिता* की धारा 304 भाग 2 में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जायेगी।

गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 15 एससीसी 635 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि "मृतक की तीन दिन बाद सिर पर लाठी से हमला करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे सामान्य माना जाता है।" प्रकृति का क्रम मृत्यु का कारण बनता है। यह मानते हुए कि हमला बिना किसी पूर्वचिन्तन के अचानक किया गया था, दोषसिद्धि को धारा 302 के तहत एक से धारा 304 भाग II में बदल दिया गया और सात वर्ष की सजा दी गई। इसी प्रकार मो. शकील बनाम स्टेट ऑफ ए.पी., (2007) 3 एससीसी 119, अपीलार्थी ने केवल एक चोट पहुंचाई थी और खुद भी चोट लगी थी। धारा 302 आई.पी.सी. के तहत दोषसिद्धि को 304 भाग II में बदलते हुए, अपीलार्थी को 1999 से कम अवधि की सजा सुनाई गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शंकर @ कालू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 1979 एससीसी (आपराधिक) 632** में प्रकाशित है कि 'जहां घटना अचानक हुई और आरोपी ने गर्दन पर खंजर से चोट पहुंचाई, सजा बदल दी गई आई.पी.सी. की धारा 302 से आई.पी.सी. की धारा 304 के भाग II तक'। इसी प्रकार **काला बनाम राजस्थान राज्य ने 1992 की आपराधिक कानून रिपोर्ट (राजस्थान) 178** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ में रिपोर्ट की, जिसमें

आरोपी ने मृतक की छाती पर तीर मारा था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त की ओर से पीड़ित की मृत्यु का कोई इरादा नहीं था, दोषसिद्धि को आई.पी.सी. की धारा 302 से धारा 304-॥ आई.पी.सी. में परिवर्तित कर दिया गया।

यहां ऊपर की गई चर्चा से अपीलार्थीगण भूपेन्द्र सिंह, बिजेंद्र सिंह और घनश्याम की सजा धारा 323, 325 और 341 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए बरकरार रखी गई है और बिजेंद्र सिंह और घनश्याम द्वारा दायर अपील अपास्त कर दी गई है।

यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, धारा 302 आई.पी.सी. के तहत उनकी दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है, इसके बजाय हम भूपेन्द्र सिंह को धारा 304 भाग-॥ आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराते हैं। वह 20.08.2014 अर्थात करीब 7 वर्ष 6 माह से हिरासत में हैं। इस प्रकार, हम आरोपी अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह को 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पहले ही बिताई गई अवधि के लिए कारावास की सजा देते हैं और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा देते हैं। अपीलार्थी- भूपेन्द्र सिंह को किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर 50,000/- रूपये जुर्माने की राशि जमा करने पर हिरासत से रिहा किया जाएगा। उक्त मुआवजा राशि में से 40,000/- रूपये मृतक की पत्नी को दिये जायें।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, ट्रायल कोर्ट का आक्षेपित निर्णय संशोधित किया गया है। मामले का रिकॉर्ड तुरंत ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जाए।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(पंकज भंडारी), न्यायमूर्ति**

SharmaNK/58-59

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।